हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

पंचम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 41

सोमवार, 26 फरवरी, 2024/7 फाल्गुन, 1945(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 02.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 02.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नकाल आरंभ करने की घोषणा से पहले ही माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए हाथ उठाकर अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। जिस पर माननीय अध्यक्ष ने उन्हें प्रश्नकाल के उपरान्त अपनी बात रखने हेतु कहा।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी शिमला मॉल रोड में घटी एक बहुत ही गम्भीर घटना से सदन को अवगत करवाना चाहते हैं इसलिए उनकी बात को सुना जाना चाहिए क्योंकि जिस युवक का कत्ल हुआ है वह माननीय सदस्य के चुनाव क्षेत्र से संबंधित है। उन्होंने भी मॉल रोड पर स्थापित पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने घटी इस भयावह और दिल दहला देने वाली घटना पर अफसोस और हैरानी व्यक्त की। उन्होंने माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा को मिली धमकी तथा

पूर्व सदस्य श्री बंबर ठाकुर पर हुए जानलेवा हमले का ज़िक्र करते हुए सरकार की ओर से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री का शिमला से बाहर कोई प्रोग्राम है इसलिए वे थोड़े विलम्ब से सदन में पहुंचेंगे। यदि माननीय सदस्यगण इस मामले को अनुदान मांगों के अंतर्गत कानून-व्यवस्था पर होने वाली चर्चा में ले लेंगे तो इस पर विस्तृत उत्तर प्राप्त हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि जो विषय अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए हैं वे मेरे ध्यान में भी हैं और ये बहुत ही गंभीर हैं। अभी अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है और अनुदान मांगे तो एक ऐसा हथियार है जिस पर वोटिंग भी होगी। इसलिए उस समय इस मामले पर विस्तृत चर्चा की जा सकती है और इस मांग को प्राथमिकता देकर चर्चा हेतु पहले स्थान पर ले सकते हैं।

श्री सुधीर शर्मा, सदस्य ने कहा कि उनसे संबंधित मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है तथा इस पर कार्रवाई चल रही है।

श्री बलबीर सिंह वर्मा, सदस्य ने कहा कि जिस युवक का कत्ल हुआ है वह उनके चुनाव क्षेत्र के कुपवी का निवासी था जोकि रिपोर्टिंग रूम के सामने वाले रेस्त्रां में नौकरी करता था। उन्होंने मांग की कि सरकार इसमें कड़ा संज्ञान लेकर मुलजिम को जल्दी-से-जल्दी पकड़े।

श्री हरीश जनारथा, सदस्य ने कहा कि यह दुःखद घटना रात को करीब 1.00 या 2.00 बजे घटित हुई है जिसमें दोषी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। यहां से पुलिस की तीन टीमें भेज दी गई हैं और आज शाम तक दोषी को पकड़ लिया जाएगा।

Concern raised by the Speaker

"I would request the Hon'ble Members and draw the attention of this august House towards rules to be observed by members while present in House. Rule 299 (xiv) - shall not wear or display badges of any kind in the House. The clothes which we are wearing that should not reflect any kind of badges and any kind of display in any kind in the House. Sub Rule (xvi) - shall not display flags, emblems or any exhibits in the House." I would request the two Hon'ble Members, namely Shri Vinod Kumar ji and Dr. Hans Raj ji, as they have worn Namo Hattrick pullover which signifies something. This House is aloof from the Party politics. So please take care in the future.

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 1237(स्थगित) तथा 1530 से 1534 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 1535 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 1536 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1537 से 1578 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 538(स्थगित) तथा 659 से 674 तथा 676 से 688 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न संख्याः 675 विलोपित किया गया।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (इग्जैम्शन फ्रॉम कंसलटेशन) (अमेंडमेंट) रेगुलेशनज, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः पर (एपी.बी) ए (1)-1/2022, दिनांक 18.04.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.04.2023 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) अधिनियम, 2018 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दिनांक 27 जून, 2019 को अधिसूचित संख्याः पर (एपी.बी) ए (3)-2/2014, को जारी अधिसूचना संख्याः पर (एपी.बी) ए (1)-1/2022, दिनांक 18 अप्रैल,2023 द्वारा निरसत किया गया; और

(iii) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (डी पी सी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(2) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उपधारा (5) के अन्तर्गत पंचायत के लेखों की संपरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23, की प्रति सभा पटल पर रखी।

4. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान

<u>अध्यक्ष महोदय का संबोधन</u>

"अब वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। सभा का समय बचाने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री, जिनके पास वित्त विभाग भी है की ओर से सभी मांगों को सभा में प्रस्तुत हुआ समझता हूँ।

सभी मांगें प्रस्तुत हुई समझी गईं।

विपक्ष की ओर से अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान हेतु प्राथमिकताओं का जो क्रम प्राप्त हुआ है उसी के अनुरूप उनको सभा में चर्चा एवं मतदान हेतु रखूंगा।

इससे पूर्व कि अनुदान मांगों पर चर्चा आरम्भ हो, मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन रहेगा कि वे अपनी-अपनी बात संक्षेप में रखें ताकि ज्यादा-से-ज्यादा अनुदान मांगों पर विचार हो सके। सर्वप्रथम मांग संख्याः 09(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) को चर्चा एवं मतदान हेतु लेता हूं।"

मांग संख्याः 09 (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 09(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः 27,38,28,47,000/- और 98,73,90,000/-रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्याः 09 पर सर्वश्री विपिन सिंह परमार, सतपाल सिंह सत्ती, सुख राम चौधरी, बिक्रम सिंह, अनिल शर्मा, डॉ0 हंस राज, डॉ0 जनक राज, बलबीर सिंह वर्मा, रणधीर शर्मा, सुरेन्द्र शौरी, विनोद कुमार, दलीप ठाकुर, त्रिलोक जम्वाल, पूर्ण चन्द ठाकुर, लोकेन्द्र कुमार, श्रीमती रीना कश्यप, राकेश जम्वाल, जीत राम कटवाल, प्रकाश राणा, पवन कुमार काजल, डी0 एस0

ठाकुर, इन्द्र सिंह और श्री दीप राज माननीय सदस्यों की की ओर से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्री विपिन सिंह परमार

(03.18 बजे उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

2. श्री सतपाल सिंह सत्ती
3. श्री सुख राम चौधरी
4. श्री बिक्रम सिंह
5. श्री अनिल शर्मा
6. डॉ० हंस राज
7. डॉ० जनक राज
8. श्री रणधीर शर्मा
9. श्री विनोद कुमार
10. श्री दलीप ठाकुर

(05.18 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न सभापति पदासीन हुए।)

11. श्री त्रिलोक जम्वाल
12. श्री पूर्ण चन्द ठाकुर
13. श्रीमती रीना कश्यप
14. श्री राकेश जम्वाल
15. श्री जीत राम कटवाल
16. श्री पवन कुमार काजल

(06.44 बजे सायं अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

17. श्री डी० एस० ठाकुर
18. श्री इन्द्र सिंह

07.00 बजे सायं सदन की बैठक मंगलवार, 27 फरवरी, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।